[2008] 1 एस.सी.आर. 700

पोगुला कोमुरैया

बनाम

ए.पी. राज्य ज़रिए प्रतिनिधि लोक अभियोजक

(आपराधिक अपील संख्या 94/2008)

15 जनवरी 2008

[डॉ अरिजीत पसायत और पी. सदाशिवम, जे.जे.**]**

दंड संहिता, 1860 धारा 304 (भाग I) सपठित धारा 149; 147; 148; 448 सपठित धारा 149 और 324 सपठित धारा 149- के तहत अभियोजन- सोलह आरोपियों का- अपीलकर्ता-अभियुक्तों को धारा 302 सपठित धारा 149 और 448 सपठित धारा149, 147 और 148 के तहत निचली अदालतों द्वारा दोषी ठहराया जाना। धारा 302 के तहत दो आरोपियों की दोषसिद्धि को सर्वोच्च न्यायले ने एक अलग अपील में धारा 304 (भाग I) में बदल दिया- दोनों आरोपियों के साथ समानता का तर्क प्रतिपादित मामले के तथ्यों में दोनों आरोपियों के संबंध में निकाले गये निष्कर्ष वर्तमान अपील के आरोपियों पर समान रूप से लागू होते हैं- धारा

302 सपठित धारा 149 को धारा 304 (भाग 1) सपठित धारा 149 में बदल दिया गया। अन्य अपराध के लिए दोषसिद्धि में हस्तक्षेप नहीं।

अपीलार्थी पर 15 अन्य आरोपियों के साथ धारा 147, 148, 448 सपठित धारा 149, 302 सपठित 149 और धारा 324 सपठित धारा 149 भरतीय दंड सहिता के तहत अपराधों के लिए आरोप लगाया गया था। विचारण न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने भी उसे इन अपराधों के लिए दोषी ठहराया था।

दो आरोपियों ने इस न्यायालय में अलग से अपील की थी और धारा 302 के तहत उनकी सजा को आईपीसी की धारा 304 **(**भाग I**)** के तहत बदल दिया गया था।

अपीलकर्ता ने दलील दी कि धारा 302 के तहत उसकी सजा को धारा 304 (भाग I) के तहत बदल दिया जाए क्योंकि उसकी स्थिति दोनों आरोपियों के समान ही है।

उच्च न्यायालय ने अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अभिनिर्धारित किया कि: पी.डब्लू.-1 के साक्ष्य को मद्देनजर रखते हुए इस न्यायालय द्वारा दो आरोपियों के संबंध में दिये गये निष्कर्ष वर्तमान अपील पर लागू होते हैं। तदनुसार, अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को धारा 304 भाग 1 सपठित 149 दंड प्रक्रिया सहिता में बदल दिया जाता है जैसा कि दो

आरोपियों के मामले में किया गया था। अन्य अपराध के संबंध में दिये गये निष्कर्ष और अधिरोपित की गई सजा में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। [पैरा 9] [703-एच; 704-ए-बी]

कालेगुरा पद्मा राव और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य लोक अभियोजक के माध्यम से 2007 (2) एससीआर 781- पर भरोसा किया गया।

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 94/2008

आपराधिक अपील संख्या 1114/2005 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय हैदराबाद के अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 27.07.2006 से

अपीलकर्ता की ओर से एस. सदाशिव रेड्डी और एस. उषा रेड्डी।

प्रतिवादी की ओर से अल्ताफ फातिमा और डी. भारती रेड्डी।

न्यायालय का निर्णय डॉ अरिजीत पसायत, जे. द्वारा सुनाया गया।

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. इस अपील में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की खण्डपीठ के फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें चार आपराधिक अपीलों यानि आपराधिक अपील संख्या 1114, 1128, 1130 और 1155/2005, का निस्तारण किया

गया।

3. 16 आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में 'आईपीसी') की धारा 147, 148, 448 सपठित धारा 149 और धारा 302 सपठित धारा 149, 324 सपठित धारा 149 के तहत दंडनीय अपराध का आरोप लगाया गया था।

4. उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश द्वारा निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ अपीलों का निपटारा किया:

> "परिणामत:, आपराधिक अपील संख्या 1114/2005 को भागतः अनुमति दी गई है। आपराधिक अपील संख्या 1128/2005 को अनुमति दी गई है। आपराधिक अपील संख्या 1155/2005 को अनुमति दी गई। धारा 302 सपठित धारा 149, 148 धारा 448 सपठित धारा 149, धारा 324 सपठित धारा 149 दंड प्रक्रिया सहिता के अपराधों के लिए ए-1, ए-3, ए-7 से ए-9, ए-12 और ए-13 को निचले न्यायालय द्वारा दी गई दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की गई। अन्य सभी अपराधों के लिए ए-2, ए-4 से ए-6, ए-10, ए-11 और ए-14 से ए-16 पर लगाई गई दोषसिद्धि और सजाएं रद्द की गईं और उन्हें तुरंत रिहा कर दिया जाएगा, यदि किसी अन्य अपराध में वे वांछित नहीं है।"

5. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अपीलकर्ता विचारण न्यायालय के समक्ष आरोपी संख्या 12 (संक्षेप में ए12) था। यह ध्यान दिये जाने योग्य है कि अभियुक्त संख्या 1 और 3 ने इस न्यायालय के समक्ष एसएलपी (सीआरएल) संख्या 5591/2006 दायर की, जिसे बाद में आपराधिक अपील संख्या 222/2006 में परिवर्तित कर दिया गया। दिनांक 19 फरवरी, 2007 के निर्णय द्वारा निम्नलिखित निष्कर्षों के साथ अपील को आंशिक रूप से अनुमति दी गई:

> "...यदि रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य को ऊपर दिए गए मापदण्ड सिद्धांतों पर माना जाता है, तो अपरिहार्य निष्कर्ष यह है कि उचित सजा आईपीसी की धारा 302 के बजाय धारा 304 भाग । आईपीसी होगी। अपीलकर्ताओं की सजा को तदनुसार धारा 302 सपठित धारा 149 आईपीसी से धारा 304 सपाठित धारा 149 आईपीसी में परिवर्तित कर दिया गया। 10 साल की सजा न्याय के उद्देश्यों को पूरा करेगी। अन्य अपराधों के संबंध में अपराध के निष्कर्ष और अधिरोपित सजा में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। सजाएँ साथ साथ चलेंगी।
>
> उपरोक्त सीमा तक अपील स्वीकार की जाती है।"

6. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि वर्तमान

अपीलकर्ता आपराधिक अपील संख्या 222/2006 में अपीलकर्ता के समान स्तर पर है और वर्तमान अपील का निपटारा समान शर्तों पर किया जाना चाहिए।

7. प्रतिवादी-राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि वर्तमान अपीलकर्ता लोहे की छड़ से लैस था, जबकि आपराधिक अपील संख्या 222/2006 में अपीलकर्ता लाठी से लैस थे। इसलिए, वर्तमान अपीलकर्ता के साथ समान व्यवहार नहीं किया जा सकता है।

8. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उच्च न्यायालय ने पीडब्ल्यू 1 के साक्ष्य के संदर्भ में इस प्रकार उल्लेख किया है:

> "19. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सी पद्मनाभ रेड्डी ने अपीलार्थी की ओर से यह कथन किया कि परिवाद पाँच घंटे की देरी से प्रस्तुत किया गया था एवं अपराधी को किसी भी विशेष प्रत्यक्ष कृत्य के लिए ज़िम्मेदार नहीं ठहराया गया एवं सर्वव्यापी आरोप लगाए गए। चिकित्सक साक्ष्य की संपुष्टि मौखिक साक्ष्य से नहीं हुई। अभियुक्त का मृतक को मारने का कोई इरादा नहीं था और अभियोजन द्वारा भी अपराध कारित करने का कोई उद्देश्य नहीं बताया गया और यह सब मृतक से ऑटो रिक्शा किराया पर लेने के संबंध में था। उन्होंने आगे कथन किया कि प्रदर्श पी 1 परिवाद में

केवल सात अभियुक्तगण द्वारा हमला करना बताया गया था एवं जाँच कार्रवाई में उल्लेखित गवाह परीक्षित नहीं करवाये गये थे। पी डब्ल्यू 1 ने प्रत्यक्ष कृत्यों के लिए ए12 और ए13 को ज़िम्मेदार ठहराया एवं शेष अपराधीगण द्वारा डंडे से पीटा जाना बताया गया, जोकि प्रदर्श पी 1 में किए गये कथनों से भिन्न है। हालाँकि पी डब्ल्यू 5 और पी डब्ल्यू 6 ने सभी अभियुक्तगण द्वारा हमला किया जाना बताया, लेकिन उनके नाम प्रदर्श पी 1 में नहीं बताए गए। प्रत्यक्ष तौर पर दोषी ठहराए जाने वाले अपराधियों का उल्लेख, साक्ष्य के दौरान पूर्व के बयानों में नहीं किया गया तथा समस्त संस्करण बाद में अभियोजन की कहानी को मज़बूत करने के लिए बनाया गया है। पीडब्ल्यू 2 को आयी चोटो की संपुष्टि उस डॉक्टर के साक्ष्य से नहीं होती है, जिसने पीडब्ल्यू 2 को परीक्षित किया था। हालाँकि अपराधी द्वारा मृतक को पीटे जाने का दोषी ठहराया गया है लेकिन मृतक को कोई संपुष्टि कारक चोट नहीं है और तथाकथित सम्पत्ति प्राप्त करने के संबंध में वसूली पंच पक्षद्रोही घोषित हुआ और अभियोजन के प्रकरण को किसी प्रकार का समर्थन नहीं दिया और ए13 को इस प्रकरण मे फंसाया गया था, सभी अपराधी संदेह का लाभ प्राप्त करने और दोषमुक्त होने के

हक़दार है।

24. चूंकि ए-1, ए-3, ए-7, ए-9, ए-12 और ए-13 द्वारा मृतक को लाठी से पीट-पीटकर मारने का विशेष उल्लेख है, इसलिए हम इस तर्क से सहमत नहीं हो सकते हैं कि साक्ष्य में आरोपी के प्रत्यक्ष कृत्यों को जिम्मेदार ठहराकर, गवाह ने बयान में सुधार किया हो..."

9. उपरोक्त परिस्थिति अनुसार, इस न्यायालय द्वारा आपराधिक अपील संख्या 222/2006 के निष्कर्ष वर्तमान अपील पर लागू होते हैं। तदनुसार, अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को धारा 304 भाग । आईपीसी सपठित धारा 149 आईपीसी में परिवर्तित किया जाता है, जैसा कि उपरोक्त अपील में अपीलकर्ताओं के मामले में किया गया था। 10 साल की सजा न्याय के उद्देश्य को पूरा करेगी। अन्य अपराध के संबंध में अपराध के निष्कर्ष और दी गई सजा में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। सज़ाएं साथ साथ चलेंगी।

10. उपरोक्त सीमा तक अपील स्वीकार की जाती है।

के.के.टी. अपील आंशिक रूप से स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' के जरिए अनुवादक न्यायिक अधिकारी बीना मीना, आर.जे.एस. द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय वादी के प्रतिबंधित उपयोग के लिए उसकी भाषा में समझाने के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।